चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/356
दिनांक : 26/4/22

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0) में सत्र 2021–22 से अध्यादेश दिनांक 17.12.2021 द्वारा नई शिक्षा नीति, 2020 लागू की जा चुकी है।

मा0 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.03.2022 के मद संख्या–17 के संकल्प में आन्तरिक/प्रयोगात्मक/सैद्धान्तिक परीक्षा में न्यूनतम अंकों के निर्धारण तथा अंकों को सी0जी0पी0ए0 में परिवर्तित करने हेतु फार्मूला निर्मित करने, ग्रेडिंग प्रणाली, कक्षोन्नति, बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा, काल अवधि इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/संस्तुति प्रस्तुत किये जाने हेतु एक 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति द्वारा मा0 परीक्षा समिति की मंशा के अनुरूप दिनांक 28.03.2022 को बैठक आहूत कर नियम उपलब्ध करा दिये गये हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के N.E.P पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित दिशा–निर्देश शासन के पत्र संख्या–1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 से भी प्राप्त हुए हैं जो परीक्षा समिति द्वारा गठित समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुरूप हैं।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक और अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि उक्त नियमों का विश्वविद्यालय के N.E.P पोर्टल पर अवलोकन कर उक्त नियमों का अनुपालन करने का कष्ट करें।

26/04/2022

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि :–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाईट चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
7. प्रेस प्रवक्ता को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले जिलों के सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

दिनांक : 28.03.2022

बैठक की कार्यवाही

विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0) में सत्र 2021–22 से अध्यादेश दिनांक 17.12.2021 द्वारा नई शिक्षा नीति, 2020 लागू की जा चुकी है। मा0 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.03.2022 के मद संख्या–17 के संकल्प में सैद्धान्तिक परीक्षा, आन्तरिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा में न्यूनतम अंकों के निर्धारण तथा अंकों को सी0जी0पी0ए0 में परिवर्तित करने हेतु फार्मूला निर्मित करने एवं अन्य कतिपय बिन्दुओं पर सुझाव/संस्तुति प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया था :–

1. प्रो0 एम0के0 गुप्ता, संकायाध्यक्ष–विज्ञान।
2. प्रो0 हरे कृष्ण, संकायाध्यक्ष–इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी।
3. डॉ0 एस0के0 त्यागी, प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र।
4. सहायक कुलसचिव (गोपनीय)।

गोपनीय विभाग के पत्र संख्या–गोप0/264(A), दिनांक 28.03.2022 के अनुक्रम में उक्त गठित समिति की दिनांक 28.03.2022 को बैठक आहूत की गयी जिसमें समिति के उक्त सभी सदस्य उपस्थित रहे। समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर गहन विचार–विमर्श किया गया तथा समिति निम्नलिखित संस्तुति/सुझाव पर एकमत है :–

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाये। यह ग्रेडिंग प्रणाली यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित है :–

तालिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. **उत्तीर्ण प्रतिशत**

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 (अ) रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अध्यादेश दिनांक 17.12.2021 के बिन्दु संख्या 5.1 में उल्लेख है कि अन्य प्रकार के कोर्सस्/पेपर्स के साथ कौशल विकास कोर्स की आन्तरिक परीक्षा 25 अंकों की होगी।

(ब) इसी प्रकार विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 24.01.2022 में रोजगार परक पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 4.1 में भी आन्तरिक व बाह्य परीक्षा के पूर्णांक क्रमशः 25 एवं 75 अंकित होने का उल्लेख है।

उक्त दोनों बिन्दुओं (अ) एवं (ब) में रोजगार परक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निहित व्यवस्था के स्थान पर निम्न प्रावधान किये जाते हैं :-

चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/ सत्तर-3-2021-08 (33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या-परीक्षा/5779, दिनांक 14.02.2022 के बिन्दु संख्या-6 में उल्लेख है कि :-

"Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।"

इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात यह यथावत् लागू रहेगी।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक **(Grace marks)** नहीं दिये जायेगें।

3. <u>कक्षान्नोति (Promotion)</u>

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :-

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

23/3/22

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिटस् के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्यार्थी सतता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	यहाँ पर: Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

28/3/22

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा :–

Calculation of SGPA

Subject	Course	Course type	Credits of paper	Internal assessment Max marks 25	External Examination Max marks 75	Total Max. marks 100	Grade	Grade point	Grade Value**
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Maths	Course 1(Th)	Major	4	24	65	89	A⁺	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A⁺	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1	Minor	4	21	60	81	A⁺	9	36
Health & Hygiene	Co-curricular course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max marks 40	Training Evaluation Max marks 60				
Bee Keeping	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A⁺	9	27
	Grand Total		25						209

** Grade value = Grade point × credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total grade value /Total credits = 207/25 = 8.28 [In a semester]
Note: Take only two digits after decimal in all the calculations

Similarly:

- The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total grade value/Total credits [In all the semesters till now]

calculation of CGPA

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit: 25 SGPA: 8.28	Credit: 21 SGPA: 6.08	Credit: 25 SGPA: 8.90	Credit: 21 SGPA: 7.22

Thus, **CGPA** = (8.28x25 + 6.08x21 +8.90x25 + 7.22x21)/81 = 708.80/92=7.70
Hence, **equivalent percentage** = (7.70x9.5) = **73.15**
And the **Division** will be **First**

(Prof. M. K. Gupta)
Dean, Science

28/3/22
(Prof. Hare Krishna)
Dean, Engg. & Tech.

(Dr. S. K. Tyagi)
Inchare, Comp. Centre

(Vikas)
Asstt. Registrar (Conf)

कृपया अनुमोदनार्थ।

28/3/22
प्रति–कुलपति महोदया

मा0 कुलपति महोदया